

उत्तर प्रदेश शासन  
राजस्व अनुभाग-1  
संख्या- 4/2599/एक-1-2018-रा0-1  
लखनऊ: दिनांक: 08 मार्च, 2019

**अधिसूचना**

जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-737/डीएलआरसी/18 दिनांक-17.03.2018 के आलोक में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित ग्रामों में स्थित स्तम्भ-4 में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उन्हीं ग्रामों में स्थित स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु आरक्षित करने तथा उक्त संहिता की धारा-59 की उपधारा-4(ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु पुनर्गृहीत कर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के उपयोगार्थ औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष अनुमति अनुसूची के पश्चात उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**अनुसूची**

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	परियोजना में प्रस्तावित			आरक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि		
		गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि-श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि- श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पहासा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला-लखनऊ	250	0.063	आबादी	169	0.0756	बंजर
		251	0.3604	खलिहान	76	0.263	बंजर
					168ड	0.194	बंजर
		02 किता	0.4234		03 किता	0.5326	
2.	शिवलर पर0 व तह0 मोहनलालगंज जिला-लखनऊ	1417	0.0872	वृक्षारोपण	1768स	0.0872	बंजर
		1225	0.0895	पशुचर	1768स	0.0895	बंजर
		1200	0.1260	मरघट	1768स	0.1260	बंजर
		03 किता	0.3027		03 किता	0.3027	
3.	मगहुवां पर0 व तह0 मोहनलालगंज लखनऊ।	508	0.2837	तालाब	466मि0	0.9326	ऊसर
		543	0.4680	तालाब			
		526	0.2780	खेल का मैदान	401मि0	0.2780	ऊसर

		525	0.1640	पंचायत घर	465स	0.164	ऊसर
		541	0.2919	शमसान	483स 465स	0.256 0.038 0.294	ऊसर
		546	0.0576	खाद के गड्ढे	467स	0.093	ऊसर
		<b>06 किता</b>	<b>0.5432</b>		<b>06 किता</b>	<b>2.0556</b>	
4.	हसनापुर पर0 व तह0 मोहनलालगंज लखनऊ।	17	0.103	देव स्थान	653झ मि0	0.103	ऊसर
		<b>01 किता</b>	<b>0.103</b>			<b>0.103</b>	
5.	रसूलपुर आशिक अली परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ।	466	0.152	तालाब	52	0.266	नवीन परती
		<b>01 किता</b>	<b>0.152</b>			<b>0.266</b>	
6.	आदमपुर नौबस्ता पर0 व तहसील मोहनलालगंज जिला- लखनऊ।	845क	0.0070	तालाब	1164ट मि0	0.7851	ऊसर
		895	0.0098	तालाब	1164ट मि0		ऊसर
		896क	0.0760	तालाब	1164ट मि0		ऊसर
		914	0.0168	तालाब	1164ट मि0		ऊसर
		918	0.0570	तालाब	1164ट मि0		ऊसर
		921क	0.1820	तालाब	1164ट मि0		ऊसर
		1843ग	0.2795	तालाब	1164ट मि0		ऊसर
		<b>7 किता</b>	<b>0.6281</b>			<b>0.7851</b>	
7.	जौखण्डी पर0 व तह0 मोहनलालगंज जिला- लखनऊ।	448	0.7580	पशुचर	424मि0	0.7580	बंजर
		<b>01 किता</b>	<b>0.758</b>			<b>0.7580</b>	
8.	बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला- लखनऊ।	645क	0.102	पशुचर	640क मि0	0.102	ऊसर
		648	0.1900	शमसान	640क मि0	0.1900	ऊसर
		647	0.0690	शमसान	640क मि0	0.0690	ऊसर
		641	0.0780	शमसान	640क मि0	0.0780	ऊसर
		<b>4 किता</b>	<b>0.4390</b>			<b>0.4390</b>	
9.	महुराकला पर0 व तह0 मोहनलालगंज जिला- लखनऊ।	1379	1.1042	पशुचर	777मि0	1.1042	ऊसर
		1323	0.276	वृक्षारोपण	777मि0	0.276	ऊसर
		<b>2 किता</b>	<b>1.3802</b>			<b>1.3802</b>	
		<b>कुल 27 गाटा</b>	<b>5.7296</b>		<b>कुल 28 गाटा</b>	<b>6.6222</b>	

- (1)- उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित ग्रामों में स्थित स्तम्भ-4 में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग की भूमि का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।
- (3)- उक्त भूमि के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन के पश्चात उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण कर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखा जायेगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक- 03/06/2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भूमि का मूल्य व वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
- (4)- कलेक्टर द्वारा उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित ग्रामों में स्थित स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमियों को स्तम्भ-5 में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।
- (5)- कलेक्टर द्वारा तालाब की भूमियों के संबंध में राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03.06.2016 के प्रस्तर-6 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (6)- कलेक्टर द्वारा मरघट, शमशान व देव स्थान की भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना अथवा शांति भंग की संभावना तो नहीं है।
- (7)- लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।
- (8)- कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार  
अपर मुख्य सचिव

**संख्या- 4/2599(1)/ एक-1-2018-रा0-1 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या- पत्र संख्या-737/डीएलआरसी/18 दिनांक- 17.03.2018 व पत्र संख्या-345/डीएलआरसी/18 दिनांक-01.12.2018 के आलोक में।
- 5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 10 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराएं।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर0वी0 सिंह  
संयुक्त सचिव